राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./3203/2004/ बाडमेर

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिव, जिला बाडमेर।

—अपीलांट

बनाम

1—गुमानाराम पुत्र सुखाराम जाट
2— बन्नाराम पुत्र सुखाराम जाट
समस्त निवासी गुढणों की ढाणी तहसील शिव जिला बाडमेर।

——रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित—
श्रीमति पूनम माथुर अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक अपीलांट
श्री दुनीचन्द अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय **दिनांक :13—6—2019**

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा अपील संख्या 15/04 में दिनांक 3—3—2004 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट/वादी ने अपीलांट के विरुद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88—188 आरटीए तहत सहायक कलक्टर शिव के न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 152 बीघा 16 बिस्वा बावत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण/ रेस्पोडेट मृतक सुखराम की जायन्दा सन्तान है। बीरमा के 3 पुत्र थे जो सैटलमेंट से पूर्व अलग हो गये थे एवं भूमि का बंटवारा कर अलग अलग काश्त करते थे। लेकिन सैटलमेंट कर्मचारियों ने विवादित भूमि की सही पैमाइश नही की व भूमि को राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबा 41 बना कर दर्ज कर दी जो गलत है जबकि दोनो नम्बरों की भूमि एक ही है। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त वादी का ही है, अन्त में वाद को डिक्री करने का निवेदन किया गया। वाद पेश होने पर प्रतिवादी की ओर से जबाव पेश कर वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में 5 तनकी कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.

11.2003 द्वारा वादी रेस्पोडेंट का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.2004 के द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 5–11–2003 को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/अपीलांट की दलील है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नही दिया कि वादी रेस्पोडेंट द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में 78 बीघा भूमि जिसका खसरा नमब्र 41 बनना बताया गया है जबकि उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट का कोई कब्जा काश्त नही था मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एवं खसरा परिवर्तन शील सं0 2040से 2053 के आधार पर वादी का वाद डिक्री नही किया जा सकता था । इस कारण परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य का सही रुप से विश्लेषण एवं विवेचन कर वादी का वाद खारिज किया था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेंट की अपील को स्वीकार कर दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नही किया है कि आरटीए 1955 के प्रावधानों के तहत केवल उन्ही व्यक्तियों को खातेदारी प्रदान की जा सकती है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय विवादित भूमि पर काबिज रहे हो । जबकि रेस्पोडेंट यह सिद्ध करने में असफल रहा कि आरटीए के लागू होने के समय से पूर्व से वह भूमि पर काबिज चला आ रहो,जब उक्त साक्ष्य को साबित करने में वादी असफल रहा हो तो अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने उसका दावा निरस्त करने में कोई भूल नही की थी, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत पारित निर्णय को अपातस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। उनका आगे तर्क है कि केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दावा डिक्री किया है जो काबिल निरस्तनीय है क्योकि मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजस्व वाद का निर्णय नही किया जा सकता है । अपने तर्को के समर्थन में 1994 आरआरडी 744 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

5— विद्वान अधिवक्ता वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उनका कहना है वादी रेस्पोडेंट का विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पूर्व से बतौर कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु सैटमेंट द्वारा आराजी का राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा संख्या 42 रकबा 74 बीघा भूमि वादीगण के पिता सुखराम की खातेदारी में दर्ज करते हुए पर्चा लगान जारी कर दिया किन्तु बकाया 78 बीघा भूमि खसरा संख्या 41 कायम कर राज्य सरकार के खाते में दर्ज करदी गयी जबकि मौके पर समस्त 152 बीघा 16 विस्वा भूमि पर वादीगण एवं उसके पूर्वजों का ही कब्जा काश्त बना रहा। खसरा नम्बर 42रकबा 74 बीघा 16बिस्वा वादी अपीलांट के पिता सुखराम की खातेदारी दर्ज करते हुए पर्चा लगान जारी कर दिया किन्तु बकाया 78 बीघा भूमि खसरा संख्या 41 कायम कर राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर दी गयी जबकि मौके पर समसत 152 बीघा 16 बिस्वा पर अपीलांट एवं उसके पूर्वजों का ही कब्जा काश्त बना रहा। उनका आगे तर्क है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का विधिवत विवेचन एवं विश्लेषण नही किया है और ससरी तौर पर ही निर्णय व डिक्री पारित कर दिये, जबकि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री करने में कोई वैधानिक त्रृटि नही की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुकूल है होने से इसमें हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकत नही है।अन्त में अपील खारिज करनेका निवेदन किया गया।

6— उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया।पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह अपील मियाद बहार प्रस्तुत की गयी है। अपील के साथ अपील प्रस्तुत होने में हुई देरी को कण्डोन के कराने के लिए अपील के साथ प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनपत्र में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

7— प्रकरण में सहायक कलक्टर शिव के समक्ष राजस्व वाद संख्या 12/08 वादी सुखराम के कायम मुकामान द्वारा तहसीलदार शिव के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88—188 आरटीए प्रस्तुत किया था, जिसमें उभयपक्ष को सुन कर वीादगण का वाद दिनांक 5—11—2003 को खारिज किया गया ।इसकी प्रथम अपील वादी/अपीलांट द्वारा अपील संख्या 15/04 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के समक्ष

अन्तर्गत धारा 223 आरटीए ,1955 के तहत प्रस्तुत की गयी, जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्ष को सुन कर अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 5–11–2003 को अपास्त किया तथा वादीगण/अपीलांटस को विवादित भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 78 बीघा गुढणो की ढाणी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया, जिसकी अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

8– अपील में सरकार की ओर से मुख्य आधार निम्न प्रकार से लिया हैः–

'' रेस्पोडेंट यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे थे कि खसरा नम्बर 41 की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आने के पूर्व से कब्जा काश्त में चली आ रही हो, वादी/रेस्पोडेंट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही था मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एवं खसरा परिवर्तनशील 2040–2055 के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री कर दिया । अपीलीय न्यायालय ने केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर रेस्पोडेंट का दावा डिक्री किया है जैसा कि 1994 आरआरडी पेज 744 में अंकित किया है''।

9– प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा 5 तनकी कायम की गयी थी। वादी ने अपनी तनकियों के सम्बन्ध में स्वयं वादी के बयान पीडब्ल्यू 1 व अन्य गवाह पीडब्ल्यू 2 ,3,4 दर्ज कराये गये है। इसके अतिरिक्त जमाबन्दी की नकल खसरा नम्बर 41 व अन्य एग्जीविट1,2,3 प्रस्तुत किये तथा नोटिस अन्तर्गत धारा 86, पावती रसीद एग्जीविट–6 व खसरा गिरदावरी सं0 2053से 2053 एग्जीविट 7 व खसरा गिरदारवरियों की नकले सं0 2040 से 50,एग्जीविट 8 पेश की।इसके अतिरिक्त तहसीलदार शिव के द्वारा पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 21–5–02 प्रस्तुत की है। परीक्षण न्यायालय ने यह माना है कि वीदगण का कब्जा काश्त विवादित आराजी पर अवश्यम है, लेकिन वादपत्र में यह अंकन कि सैटलमेट से पूर्व यह भूमि उनकी है, इस प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नही की है। अतः मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य को स्वीकार नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तनकी संख्या 2 से 5 में अंकित किया है कि इन तनकियों का विवेचन तनकी संख्या 1 में हो चुका है और उपरोक्त आधारों पर वादीगण का वाद खारिज किया है।

10– विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने विवेचन में अंकित किया है कि कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित भूमि पर वीद का कब्जा प्रकट होता है तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक

21—5—2002 में भी खसरा नम्बर 41 व 42 पर अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा वादी का ही माना है। अपीलीय न्यायालय ने अंकित किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहॉ दस्तावेजी साक्ष्य को चुनौती दी जा रही हो ,दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नही हो, वहॉ मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। उन्होने अंकित किया कि पीडब्ल्यू 1,2,4 एवं मौका रिपोर्ट से वर्तमान में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा प्रकट होता है। खसरा परिवर्तनशील सं0 2040 से 55 में भी वादी/अपीलांट का कब्जा विवादित आराजी पर है तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 से 4 का निर्णय वादी/अपीलांट के पक्ष में किया है।

11— तनकी संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व में आने व सैटलमेंट की कार्यवाही से पूर्व ही अपीलांट के पूर्वजों का करीब 150 बीघे का खेत था जिसमें से खसरा नम्ब्र 42 रकबा 74 बीघा 16 बिस्वा अपीलांट के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज की गयी तथा शेष विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट होता है। उन्होने यह भी अंकित किया कि खसरा परिवर्तनशील में कम अधिक कब्जा बतौर अतिक्रमी होने का प्रश्न है, ऐसा सैटलमेंट की गलती से होना स्वाभाविक है तथा बाडमेर जिले में प्रायः अकाल की स्थिति होती रहती है। इस कारण अधिकांश काश्तकार अपनी भूमि पर खेती नही कर पाते है। उपरोक्त आधार पर तनकियो को स्वीकार करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गयी है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में वादी अपीलांट के खसरा परिवर्तनशील में कब्जे के आधार पर डिक्री जारी की गयी है। किसी भी काश्तकार को खातेदारी जब ही प्रदान हो सकती है जबकि वह 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पूर्व में आने के समय किसी भी प्रकार से टिनेंट के रुप में दर्ज रहा हो। विवादित आराजी वादी पर अपीलांट बतौर काश्तकार राजस्थान कातश्कारी अधिनियम 1955 के पूर्व से आने से आज दिनांक तक लगातार कब्जा काश्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नही कर पाये है। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एवं खसरा परिवर्तनशील सं02040 से 2053 के आधार पर खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है और ना ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ही खातेदारी प्रदान की जा सकती है। जहॉ तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैः—

1— 2018 आरबीजे 59 ''सरजू बनाम अमृतलाल''

2–2015 आरबीजे 486 ''तारा बनाम स्टेट''

3–2001 आरबीजे 387 '' जगदीश बनाम सीताराम

4–2018आरबीजे 349 '' मौहम्मद अली बनाम शान्तिलाल''

5–2019 आरआरडी 148 '' भगवान बनाम प्रभूदयाल वगैरहा''

6–2018 आरबीजे 649 ''नन्दू बनाम चाउ''

7–2018(2) आरआरटी 1037 '' नन्दा बनाम हरिसिंह''

12– उक्त सभी न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। चूॅकि वादीगण ने प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी चाही है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है। ऐसीस्थिति में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपरोक्त कानूनी नजीरों के विपरीत होने से अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

13– अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3–3–2004 निरस्त किया जाकर सहायक कलक्टर शिव द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5–11–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग) **(मुकेश शर्मा)**

सदस्य **अध्यक्ष**

1–मदनलाल पुत्र नाथूलाल

2–बंशीलाल पुत्र नाथूलाल

3–कैली पुत्र नाथूलाल

4–श्रीमती भंवरी बेवा नाथूलाल

5–नन्दा पुत्र बरदा

6–श्रीमति सुमनबाई बेवा बालू

7–अशोक कुमार पुत्र बालू जरिये माता श्रीमती सुमन वाई

9–सुडी पुत्री बरदा

10–रामचन्द पुत्र धूला

जाति नाई निवासी तिलस्वां तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।

11–श्रीमती नानी पुत्री बरदा नाईनिवासी तिलस्वा तहसील माडलगढ जिला भीलवाडा हाल निवासी बोरडा तहसील जावद जिला नीमच मध्य प्रदेश

–अपीलांटस

बनाम

1–श्रीमती सोहनी पत्नी काना नाई निवासी पदमपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।

2–हीरा पुत्र बरदा नाई निवासी तिलस्वां तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।

3–सरकार जरिये तहसीलदार बिजोलियॉ जिला भीलवाडा।

––रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–

श्री एस0पी0 ओझा , अभिभाषक अपीलांट

श्री गौतम चन्द टांक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स